प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट - 'अ'

[28/7/2022]

[20/7/2022]

प्रश्न सं. 1289 [क्र. 1289]

प्रश्न सं. 1289 [क्र. 1289]

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग

क्रमांक 627/942/स्था./19/84 भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 1984

प्रति,

1. प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
भोपाल ।

2. मुख्य अभियंता,
लोक निर्माण विभाग
उत्तर, पश्चिम, पूर्वी, मध्य,
रा. रा.

विषय:- पद रिक्त होने पर कनिष्ठ अधिकारियों को चालू कार्यभार सौंपने बाबत ।

ऐसा अनुभव किया गया है कि जब भी पद रिक्त होता है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा पदस्थापना नहीं की जाती है तो कनिष्ठ अधिकारी को चालू कार्यभार दिया जाता है । कतिपय शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि चालू कार्यभार वरिष्ठतम कनिष्ठ अधिकारी को न देकर कनिष्ठ अधिकारी को चालू कार्यभार दे दिया जाता है, इससे अधिकारियों/कर्मचारियों में असंतोष फैलता है । अतः इस संबंध में शासन द्वारा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । अतः सक्षम अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करें कि वरिष्ठतम कनिष्ठ अधिकारी को ही चालू कार्यभार दिया जाये ।
वरिष्ठतम कनिष्ठ अधिकारी को निम्नानुसार कार्यभार दिया जाये :-

1. अधीक्षण यंत्री पद के लिए मंडल में कार्यरत वरिष्ठतम कार्यपालन यंत्री ।
2. कार्यपालन यंत्री पद के लिये उक्त संभाग में कार्यरत वरिष्ठतम सहायक यंत्री ।
3. सहायक यंत्री पद के लिए उक्त उप संभाग में कार्यरत [illegible] उपयंत्री ।

ह.स्ता./[illegible]
[illegible]
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग

// सत्यप्रतिलिपि//

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
लोक निर्माण विभाग